



Gautam Buddha University

(Established by UP Act (9) of 2002)

GBU-003/FIN/5.50/2024-25/3063

Dated: 19.09.2024

:: 30प्र0 छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना ::

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 में 30प्र0शासन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर समस्त छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में।

(Time Table for Session 2024-25)

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन नवीन (Fresh) आवेदन तथा नवीनीकरण (Renew) किया जाना	प्रारम्भ 30 सितम्बर, 2024 से अंतिम तिथि 16 नवम्बर, 2024 तक
2.	त्रुटियों को छात्र-छात्राओं द्वारा पुनः ठीक किया जाना	फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	ऑनलाइन आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट छात्रवृत्ति वेबसाइट से प्रिंट कर वित्त विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 04 कार्य दिवसों के अन्दर जमा कराया जाना तथा दिनांक 20 नवम्बर, 2024 तक अथवा उससे पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करें।

नोट:- गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् पात्र छात्र-छात्राओं को सूचित करना है कि 30प्र0 छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया संचालित है। छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.11.2024 है। छात्र-छात्राएँ अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करते हुए अविलम्ब ऑनलाइन आवेदन करना प्रारम्भ करें। अंतिम तिथि के समय छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अत्यधिक Load होने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं। छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन कर उसकी जांच कर सही होने के बाद ही शिक्षण संस्था हेतु फाइनल प्रिंट लेकर सभी दस्तावेजों के साथ संलग्नकों सहित अपने स्कूल से सत्यापित कराकर विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में जमा करें।




(नीरज कुमार)
वित्त अधिकारी

Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh -201312

Ph. : +91-120-2344200, Fax : +91-120-2344205 & 215, E-mail : info@gbu.ac.in, Website : www.gbu.ac.in

बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ।
पढ़ी लिखी बेटी। रोशनी घर की।



प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. शैक्षिक अधिष्ठाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(नोट: समस्त अधिष्ठाता कार्यालय के कर्मचारियों को इस निर्देश के साथ कि समस्त पात्र छात्र-छात्राओं के Whatsapp No. को स्कूल के माध्यम से New Whatsapp Group छात्रवृत्ति हेतु Create करें, जिससे Whatsapp Group के माध्यम से Scholarship की सूचना सभी पात्र छात्र-छात्राओं को प्रेषित किया जा सके।)
5. प्रभारी अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/ महिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं जिन छात्र-छात्राओं की ई-मेल उपलब्ध है, उन्हें ई-मेल के द्वारा सूचित करने हेतु।
8. समस्त सूचनापट्ट पर चरपा कराये जाने हेतु।


(नीरज कुमार)
वित्त अधिकारी